भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहॉपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 19.05.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–30 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 19.05.2022 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहॉपुर में आयोजित की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1	जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर	उपाध्यक्ष
3	जिला विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य, शाहजहॉपुर	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहॉपुर	सदस्य
6	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहॉपुर	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहॉपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई, शाहजहॉपुर	सदस्य
9	अधिशासी अभियंता, ग्रांउड वाटर, शाहजहॉपुर	सदस्य
10	अधिशासी अभियंता, लघु सिचाई, शाहजहॉपुर	सदस्य
11	जिला कृषि अधिकारी, शाहजहॉपुर	सदस्य
12	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी, शाहजहॉपुर	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।	सदस्य
14	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, शाहजहॉपुर	सदस्य सचिव

1. सदस्य सचिव अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 704 ग्राम पंचायतों (1489 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राकलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 356 नग डी0पी0आर0 अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 270 नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 30 नग डी0पी0आर0 "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 30 नग डी0पी0आर0 का तकनीकी परिक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण शाहजहांपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कॉर्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवष्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. रपेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टिया राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 30 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेष शासन लखनऊ के आदेश संख्या-51/2021/1948/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन मे कार्यदायी संस्था द्वारा

उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रू 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओ की स्वीकृति "जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

उक्त क्रम में बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्य निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये–

1. बैठक में प्रस्तुत 30 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति बिना सहमति पत्र के जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस शर्त पर प्रदान की गयी कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की अति महत्वकांक्षी एवं समयवद्ध योजना है अतः ग्राम पंचायत स्तर से सहमति पत्र आई0एस0ए0 एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर 01 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. मै0 एन0सी0सी0 प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि स्वीकृत 270 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष मात्र 194 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिस पर मै0 एन0सी0सी0 को एक सप्ताह में समस्त कार्यस्थलों पर कार्य प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को नोटिस देने हेतु निर्देशित किया गया।
3. मै0 एन0सी0सी0 को 96 नग डी0पी0आर0 जो Non-Compliant की श्रेणी में हैं उन्हें Compliant कर अग्रिम डी0डब्ल्यू0एस0एम0 बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मै0 एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया कि अग्रिम डी0डब्ल्यू0एस0एम0 बैठक में परियोजनावार बार चार्ट के अनुसार वर्तमान प्रगति का प्रस्तुतिकरण बैठक में प्रस्तुत करें।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के कार्यों की जांच तहसीलवार सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा कराये जाने के लिए अधिषासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देषित किया गया।
6. बैठक में प्रस्तुतिकरण में दर्शायी जा रही फोटोग्राफ में गड़िया छवि पाइप पेयजल योजना, विकास खण्ड कलान, चक कन्हऊ पाइप पेयजल योजना, विकास खण्ड सिंधौली तथा नटिउरा पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड बण्डा में ब्रिक एवं सैण्ड की गुणवत्ता अधोमानक प्रतीत हुई, जिस पर मै0एन0सी0सी0 को उक्त कार्यस्थल से अधोमानक सामग्री हटवाकर कराये गये कार्यों को रेक्टीफाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन में क्रियान्वयन चयनित आई0एस0ए0 एजेन्सी मै0 भावना सेवा संस्थान एवं मै0 भूषण सेवा संस्थान की समस्त निर्गत गतिविधियों में प्रगति बहुत कम पायी गयी है एवं उनके पास संसाधनों की अत्याधिक कमी है, जिससे भविष्य में योजना को ससमय पूर्ण करना सम्भव प्रतीत नहीं होता अथवा जनपद के लिए अनुभवशील एवं समस्त संसाधनों वाली आई0एस0ए0 एजेन्सी को नियुक्त कराने का निर्देश दिया।
8. मै0 एन0सी0सी0 द्वारा प्राक्कलन बैठक मे प्रस्तुत किये गये, उसकी समीक्षा में पाया गया कि प्राक्कलन में R.C.C O.H.T का प्रावधान है, तथा पूर्व प्राक्कलनो तथा R.F.P में R.C.C O.H.T का प्रावधान था परन्तु बैठक में अवगत कराया गया कि कार्य स्थल पर R.C.C O.H.T के स्थान पर मै0 एन0सी0सी0 लि0 Zincalume Tank लगाना चाहती है। फर्म के वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक से Zincalume Tank की अधिवर्षता पूछने पर उनके द्वारा समिति को Zincalume Tank की अधिवर्षता 20 वर्ष बतायी गयी, जिस पर समिति सदस्यो द्वारा परियोजना की दीर्घकालिक (डिजाइन पीरियड अधिकारिक रूप से 30 वर्ष की गयी है) अवधि को दृष्टिगत रखते हुये=

PT-6

~~पया कि~~ Zincalume Tank की अधिवर्षता योजना से कम होने के कारण सुरक्षा एंव परियोजनाओ की दीर्घकालिक अधिवर्षता के दृष्टिगत Zincalume Tank के स्थान पर डी0पी0आर0 में स्वीकृत R.C.C O.H.T बनाने का ही मतंव्य प्रकट किया गया। समिति के मन्तव्य से SWSM /शासन को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 30 नग डी0पी0आर0 उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

for
अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
~~पश्चिम~~ खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
शाहजहाँपुर
सदस्य

DFO
प्रभागीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।